न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/204 **दायरा दिनांक : 14.11.2022**

उनवान

भैरूलाल आत्मज किशना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. सुगना बाई बेवा गोरधन, जाति मीणा
2. हेमराज पुत्र गोरधन, जाति मीणा (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
2/1. श्रीमती लालीबाई पत्नि स्व0 श्री हेमराज, आयु 40 वर्ष
2/2. कालू पुत्र स्व0 श्री हेमराज आयु 12 वर्ष (नाबालिग)
2/3. रविना पुत्री स्व0 श्री हेमराज, आयु 17 वर्ष (नाबालिग) जाति मीणा, जर्ये वली माता श्रीमती लाली बाई पत्नि स्व0 श्री हेमराज, जाति मीणा, निवासी ग्राम गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
3. धर्मराज पुत्र गोरधन (नाबालिग) जर्ये वली माता सुगना बाई बेवा गोरधन, जाति मीणा
4. घीसी बाई पुत्री किशना, जाति मीणा
5. धापू बाई पुत्री किशना, जाति मीणा
6. प्रभूलाल पुत्र भवाना, जाति मीणा (मृतक) जर्ये कायम मुकामान –
6/1. कैला बाई पुत्री स्वर्गीय श्री प्रभूलाल, जाति मीणा
6/2. गोपाली बाई पुत्री स्वर्गीय श्री प्रभूलाल, जाति मीणा
6/3. भैरूलाल पुत्र स्वर्गीय श्री प्रभूलाल, जाति मीणा,
निवासीगण ग्राम गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
7. मथुरालाल पुत्र कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
9. व्यवस्थापक एस.बी.बी.जे. बैंक हाल एस.बी.आई. बैंक, शाखा अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
10. कम्पूरी पुत्री स्वर्गीय श्री गोरधन, जाति मीणा
11. पिंकी बाई पुत्री स्वर्गीय श्री गोरधन, जाति मीणा
निवासीगण गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
12. पार्वती बाई पत्नि भैरूलाल, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री प्रदीप मेहरा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

(ममता कुमारी तिवारी) 2024
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

श्री महेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 3 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 06.08.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 124/दावा/2007 निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 23.02.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1, 2, 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गादिया जयमल पटवार हल्का अमृतखेड़ी, तहसील अकलेरा के माल में खतौनी संख्या नयी 126 पुरानी 109 की खसरा नं. 617 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 654 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं. 655 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 657 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 722 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कुल 5 किता की 10 बीघा 6 बिस्वा आराजी स्थित है तथा ग्राम गादिया जयमल पटवार हल्का अमृतखेड़ी, तहसील अकलेरा के माल में खतौनी संख्या नयी 125 पुरानी 108 की खसरा नं. 490 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 491 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं. 492 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं. 493 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 511 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 512 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 613 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल 7 किता का रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 23.02.2022 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आदेश एवं फाईनल डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसील से विभाजन पत्र प्राप्त होने के बाद अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही व अन्य पक्षकारान को सुने बिना ही केवल मात्र वकील वादिनी की सहमति एवं वादिनी की सहमति के आधार पर विवादित आराजी के मामले में फाईनल डिक्री जारी करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिक्री पारित करने में बंटवारे के नियम 18 से 21 की ओर कोई उचित गौर नहीं फरमाया। अपीलांट को विभाजन पत्र पर आपत्ति पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। विवादित आराजी के मामले में पटवारी हल्का के द्वारा भी बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलांट एवं अन्य पक्षकारों को सूचित नहीं किया। केवल मात्र वादिनी के अनुसार बंटवारा पत्र तैयार

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कर लिया गया। सभी पक्षकारान का हिस्सा पृथक पृथक नहीं किया गया, जो कानूनन आवश्यक था, एवं मौके पर पक्षकारान के कब्जे का भी ध्यान नहीं रखा गया। डिक्री की पुश्त पर जो नक्शा है उसमें भी आराजी वादी व प्रतिवादी की दर्शायी गयी है परन्तु यह नहीं दर्शाया गया कि किस वादी व किस प्रतिवादी का कौनसा हिस्सा कहां है केवल मात्र नक्शे में वादी एवं प्रतिवादी का अंकन दर्शाया गया है जो आराजी के विधिवत बंटवारे की तारीफ में नहीं आता है। तहसील से प्राप्त बंटवारा पत्र कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से एवं बंटवारे के नियम 18 से 21 के विपरीत होने से इस आधार पर पारित आदेश एवं फाईनल डिक्री निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 23.02.2022 निरस्त फरमायी जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.10.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी. पी. सी. एवं धारा 151 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सी. पी. सी. के प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 30.06.2008 को एक पक्षीय निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.02.2022 की अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी। बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 24.09.2021 की अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई, रिपोर्ट पर भी सिर्फ वादिनी का अंगूठा है। विभाजन प्रस्ताव पर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को नोटिस जारी नहीं किये गये। अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की। अपने पक्ष के समर्थन में आर. आर. टी. 2023 (1) पेज 585, आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 476, आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 338, आर. आर.टी. 2022 (1) पेज 61, आर.आर.टी. 2021 (2) पेज 1318, आर.आर.डी. 2003 पेज 193, आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1104 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में भैरू लाल का काउंटर क्लेम खारिज हो गया था। अपील पूर्व में निर्णित हो चुकी है।

(ममता कुमारी तिवाड़ी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 20.10.2022 की पालना रिपोर्ट में उभयपक्ष के हस्ताक्षर हैं। अतः अपील मेंन्टेनेबल नहीं होने के कारण अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। बंटवारा रिपोर्ट में केवल रेस्पोडेंट का अंगूठा निशानी है जबकि सभी पक्षकारों को मौके पर उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये जाने चाहिए थे। बंटवारा रिपोर्ट बनाते वक्त पक्षकारान को बुलाने के साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

बंटवारा रिपोर्ट में सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है और न ही यह अंकित है कि पक्षकारान को मौके पर बुलाया गया है और वो उपस्थित नहीं हुए, अथवा हस्ताक्षर करने से मना किया। बंटवारा प्रस्ताव आने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया है। इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मंडल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण एवं खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 23.02.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार द्वारा स्वयं उपस्थित होकर पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा